परिशिष्ट – "अ"
अतारांकित प्रश्न -1415
द्वारा - माननीय विधायक श्रीमती प्रियंका पैंची

प्रश्नांश (क) की जानकारी

थाना क्षेत्र कुंभराज में चोरी, लूटपाट, डकैती की घटनाएं लगातार निरंतर नहीं बढ़ रही हैं, दिसम्बर 22 से 15 जून 2023 तक एवं दिसम्बर 23 से 15 जून 2024 तक उक्त अवधि की तुलना करने पर लूट में कमी आयी हैं। तथा डकैती, चोरी, नकबजनी में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई हैं।

<u>तुलनात्मक चार्ट</u>

क्रं.	अवधि	लूट	डकैती	चोरी	नकबजनी
01	01.12.22 से 15.06.23	02	-	08	3
02	01.12.23 से 15.06.24	01	-	08	3

पुलिस प्रशासन द्वारा किये गये कार्य निम्नानुसार है:-

1- थाना कुंभराज क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं जैसे चोरी, लूटपाट व डकैती की घटनाओं को रोकने के लिये थाना क्षेत्र के समस्त विवेचकों को अपनी अपनी बीट में अधिक से अधिक भ्रमण करने के निर्देश दिये गये हैं।

2 - रात्रि गश्त में बल बढ़ाया जाकर गश्त का क्षेत्र बढ़ाया गया हैं, थाना कुंभराज क्षेत्र के सम्पूर्ण ग्रामों में गश्त कराई जा रही हैं।

3 - चोरी के अपराधियों को हतोत्साहित करने के लिए अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आरोपियों को जेल में दाखिल कराया गया हैं।

4 - थाना हाजा के पूर्व में चोरी के अपराध में संलिप्त अपराधियों की लगातार निगरानी की जा रही हैं तथा उनसे नियमित रूप से पूछताछ कर उनके जीवन यापन के साधनों की जानकारी ली जा रही हैं।

5 - वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी थाना क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर समय-समय पर रात्रि गश्त की जाती हैं।

6 - थाना क्षेत्र की निगरानी हेतु जन सहयोग के माध्यम से क्षेत्र में सीसीटीव्ही कैमरे लगवाये गये हैं।

7 - प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात्रि 11 तक कस्बा भ्रमण थाना प्रभारी मौजूदा बल के साथ कर रहे हैं। दौराने भ्रमण संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन पर नजर रखने एवं आम जनता से जन संवाद कर अपराधों की रोकथाम के प्रयास कर रहे हैं।

अनुभाग अधिकारी
[illegible]
गृह (पुलिस) [illegible] (1)
मंत्रालय, भोपाल

15.7
AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner

(5)

परिशिष्ट – "ब"

अतारांकित प्रश्न -1415

द्वारा - माननीय विधायक श्रीमती प्रियंका पेंची

प्रश्नांश (ख) की जानकारी

थाना क्षेत्र में डकैती की कोई घटना घटित नहीं हुई है , चोरी की घटना घटित हुई है, उक्त संबंध में दर्ज अपराधों की जानकारी निम्नानुसार है:-

1 – ग्राम- झारेडा के फरियादी विष्णु प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट पर से थाना कुंभराज पर अप. क्र.- 130/24 धारा- 457,380 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया है। उक्त चोरी की घटना में फरियादी द्वारा सोना चाँदी के आभूषण जिनकी कुल कीमत 4 लाख रूपये चोरी होना बताया गया। माल मुल्जिम की पतारसी जारी हैं।

2 – ग्राम- ऊपरी के फरियादी शुभम मीना के द्वारा रिपोर्ट की गयी थी जिस पर से थाना कुंभराज पर अप. क्र.- 151/24 धारा- 457,380 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया हैं। उक्त चोरी की घटना में फरियादी द्वारा सोना चाँदी के आभूषण जिनकी कीमत 60,000/- रूपये व नगदी 5000/- रूपये कुल कीमत 65,000/- रूपये चोरी होना बताया गया। माल मुल्जिम की पतारसी जारी हैं।

3 – गीता नगर कालोनी कुंभराज के फरियादी की रिपार्ट पर से थाना कुंभराज पर अपराध क्रमांक-149/24 धारा- 457, 380 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, उक्त चोरी की घटना फरियादी द्वारा सोना चाँदी के आभूषण कीमती 95,000/- रूपये व नगदी 50,000/- रूपये कुल कीमत 1,45,000/- रूपये चोरी होना बताया गया। बाद प्रकरण विवेचना में आरोपी हरिओम सेन एवं अमित सेन को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों से चाँदी की एक जोड़ी पायल कीमत 5000/-, 01 सफेद धातु की चैन चाँदी जैसी पुरानी इस्तमाली, 01 पीली धातु का सोने जैसा मंगलसूत्र, 20,000/- रूपये नगदी बरामद किये गये।

4 – थाना- कुंभराज अंर्तगत ग्राम- तुलसीखेड़ा के संरपंच के घर चोरी होने की फरियादिया रीना बाई मीना पत्नि रामवरन मीना निवासी- तुलसीखेड़ा की सूचना पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना- कुंभराज में अपराध क्रमांक- 202/24 धारा- 457, 380 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण विवेचना में लंबित होकर माल एवं अज्ञात मुल्जिम की पतारसी की जा रही हैं।

5 - थाना- कुंभराज के ग्राम- बड़ागॉव में पुलिस द्वारा जाकर तस्दीक की गयी, जिसका पंचनामा तैयार कर ग्रामवासियों ने बताया कि हमारे गाँव में कोई चोरी संबंधी घटना घटित नहीं होना बताया।

6 – थाना- मृगवास के ग्राम- तरीपटनी, जामोन्याजागीर से चोरी की कोई भी रिपोर्ट /सूचना थाना पर प्राप्त नहीं हुई हैं, व उक्त ग्रामों में जाकर पूछताछ किये जाने पर कोई चोरी की वारदात घटित नहीं होना ग्राम वासियों द्वारा बताया गया, ग्राम- झीकनी में ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि आज से करीब डेढ़ दो महीने पहले एक मो. सा. अमर सिंह राजपूत की चोरी गयी थी लेकिन अमर सिंह द्वारा मो. सा. चोरी होने की रिपोर्ट थाना पर नहीं की थी बाद अमरसिंह राजपूत की तलाश ग्राम झीकनी में करने पर उपस्थित नहीं मिला।

7 – असामाजिक तत्वों द्वारा खुलेआम गोलियां चलाने वालों के विरूद्ध थाना कुंभराज में अपराध क्रमांक- 429/23 धारा- 336, 34 भादवि 25 (1बी)(ए), 27(1) आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

8 - क्षेत्र में जुआ, सट्टा तथा गांजा की तस्करी के विरूद्ध समय-समय पर कार्यवाही की गयी हैं जिसका विवरण निम्न चार्ट में हैं।

क्रं.	अवधि	जुआ	सट्टा	एनडीपीएस एक्ट	आबकारी
01	01.12.22 से 15.06.23	11	05	04	34
02	01.12.23 से 15.06.24	10	04	02	54

---0---

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग ... (1)
वल्लभ भवन, भोपाल

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner